347/2024

30/01/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पक्ष उपस्थित। विप्रार्थी की ओर से राज. पैरोकार उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया कि ग्राम बिठूजा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 58 रकबा 11.03 बीघा भूमि अवस्थित है। जिसका विभाजन होने पर पर वर्तमान खसरा संख्या 58 रकबा 0.5099 हैक्टयर, खसरा संख्या 636/58 रकबा 0.3237 हैक्टयर, खसरा संख्या 637/58 रकबा 0.1619 हैक्टयर,खसरा संख्या 1266/637 रकबा 0.1619 हैक्टयर,खसरा संख्या 638/58 रकबा 0.3237 हैक्टयर,खसरा संख्या 639/58 रकबा 0.1619 हैक्टयर व खसरा संख्या 1472/58 रकबा 0.1619 हैक्टयर कुल रकबा 1.8049 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का अपने अपने हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। मौका कब्जानुसार ही लटढा नक्शा में तरमीम होने के बजाय विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम दर्ज हो रखी है,जिसके कारण प्रार्थीगण को क्षति हो रही है। अतं में निवेदन किया कि परिशिष्ट ब अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जावें। विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शानुसार तरमीम दुरूस्ती किए जाने पर आपति नहीं है। हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम बिठूजा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 58, 637/58, 636/58, 1266/637,638/58,639/58,1472/58 प्रार्थीगण की पृथक पृथक खातेदारी में दर्ज है तथा विवादित आराजी की लटढा नक्शा में विदयमान तरमीम मौका स्थिति के विपरीत होना बताकर प्रार्थीगण द्वारा मौका कब्जा–स्थिति अनुसार तरमीम दुरूस्ती करने का अनुतोष चाहा गया है। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रार्थीगण के उजर को स्वीकार करते हुए विदयमान तरमीम को मौका स्थिति के विपरीत होना बताकर परिशिष्ट ब अनुसार तरमीम दुरूस्ती करने की अनुशंषा की गई है तथा न्यायालय हाजा को उचित प्रतीत होता है कि प्रस्तावित नक्शानुसार दुरूस्ती किए जाने से मौका एवं रिकॉर्ड में एकरूपता आऐगी तथा रिकॉर्ड भी दुरूस्त होगा। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।	

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम बिठूजा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 58, 637/58, 636/58, 1266/637,638/58,639/58,1472/58 भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट व नक्शा मुताबिक तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त परिशिष्ट व नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करावें।

20/01/2025

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा